



राजस्थान—सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358

Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com



क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/पं. विद्या संबल योजना/61/राजकाज नं 1050 पार्ट फाइल-5/2025/

दिनांक:

विज्ञप्ति

राजस्थान सरकार, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक : पं. 6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक : 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं संयुक्त शासन सचिव संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक : पं.1(17)संस्कृत शिक्षा/2021 पार्ट/राका.00058/रेफरेस 17461275 जयपुर, दिनांक 29.08.2025 के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु विभाग के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के 200 रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पात्र सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैंकल्टी के रूप में आमन्त्रित किया जाना है। उक्त योजना के तहत गैस्ट फैंकल्टी के पद/योग्यता/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत गैस्ट फैंकल्टी के पद एवं योग्यताएं :-

क्र. सं.	पदनाम	योग्यता
1	सहायक आचार्य (विभिन्न विषय)	राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवानियम – 2022 एवं यथा समय संशोधित में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार।

(सेवानियमों का <https://education.rajasthan.gov.in/sanskrit> पर अवलोकन किया जा सकता है।)

नोट :-

1. गैस्ट फैंकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या सम्बल योजना के तहत गैस्ट फैंकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाये जायेंगे।
3. सेवानिवृत्त शिक्षक गैस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैंकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।

(2) रिक्तियां :-

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गैस्ट फैंकल्टी के रूप में महाविद्यालयों को आवंटित विषयवार पदों पर ही लगाया जायेगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन :-

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.03 12:08:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17522753

eSign 1.0





महाविद्यालयवार आवंटित रिक्तियों का प्रकाशन संबंधित महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड/महाविद्यालय की वेबसाईट क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, तथा विभागीय वेबसाईट <https://education.rajasthan.gov.in/sanskrit> पर किया जायेगा ।

(4) आवेदन प्रक्रिया :-

किसी भी पद हेतु सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक महाविद्यालय समय में संबंधित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय प्राचार्य को स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण :-

विद्या संबल योजना के तहत गैस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त महाविद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।

वरीयता सूची के प्रकाशन से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है—

1. आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर निदेशालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु निदेशालय में संयुक्त निदेशक स्तर पर गठित समिति द्वारा महाविद्यालय से प्राप्त पैनल का परीक्षण किया जायेगा। निदेशालय स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन के पश्चात गैस्ट फैकल्टी के पैनल से वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।
2. प्रत्येक संस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों का विषयवार प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध पैनल तैयार किया जायेगा।
3. समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जायेगा। गैस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना :-

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर के कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। विभाग स्तर पर परिवेदना समिति नियमानुसार होगी।

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	संयुक्त निदेशक	अध्यक्ष
2.	शैक्षणिक अधिकारी	सदस्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.03 12:08:38 IST
Reason: Approved



3.	संस्थापन अधिकारी	सदस्य
4.	प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य

(7) विद्या संबल योजना के तहत मानदेय :-

विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गैस्ट फैंकल्टी को पदवार प्रति घण्टा (60 मिनट) मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा -

प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे	अवधि
800 / -	14 घंटे	सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने/पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2026 तक जो भी पहले हो तक

(8) अन्य शर्तें :-

- चयनित अभ्यर्थी को गैस्ट फैंकल्टी के रूप में आमन्त्रित किये जाने पर निर्धारित समय में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संबंधित प्राचार्य द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गैस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- गैस्ट फैंकल्टी के रूप में शिक्षा सत्र 2025-26 अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
- गैस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अधीन रखा जावेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 में वर्णित है।
- गैस्ट फैंकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संबंधित प्राचार्य द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैंकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) टाईम टेबिल :-

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1.	दिनांक 03.09.2025	विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन
2.	दिनांक 03.09.2025 से 08.09.2025 तक (महाविद्यालय समय)	आवेदन करने की तिथि

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.03 12:08:38 IST
Reason: Approved



राजस्थान—सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358



Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com

	में)	
3.	दिनांक 09.09.2025	प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची प्रकाशित करना (प्राचार्य द्वारा)।
4.	दिनांक 10.09.2025 से 11.09.2025	पात्रता की जांच करना एवं वरियता सूची बनाना (अस्थाई) एवं जारी करना।
4.	दिनांक 12.09.2025	आपत्तियां मांगना।
5.	दिनांक 13.09.2025	मूल दस्तावेजों की जांच करना।
6.	दिनांक 15.09.2025 से दिनांक 16.09.2025 तक	अन्तिम वरीयता सूची (स्थाई) बनाकर निदेशालय से अनुमोदन कराना।
7.	दिनांक 17.09.2025	गैस्ट फैंकल्टी को आमन्त्रित करना।
8.	दिनांक 20.09.2025	कार्यारम्भ की अन्तिम तिथि।
9.	दिनांक 23.09.2025	स्थान रिक्त रहने पर वरीयता क्रमानुसार अग्रिम अभ्यर्थी को आमन्त्रित करना।

संलग्न :-

- वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक पं.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023
- महाविद्यालयवार आंवटित पदों की विषयवार सूची।
- पैनल तैयार करने हेतु दिशा—निर्देश एवं वरीयता के मापदण्ड।
- गैस्ट फैंकल्टी को आमन्त्रित किये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।
- गैस्ट फैंकल्टी को आमन्त्रित किये जाने का प्रारूप।
- गैस्ट फैंकल्टी से लिया जाना वाला शपथ पत्र।
- संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवानियम 2022।

(प्रियंका जोधावत)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.03 12:08:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17522753

eSign 1.0



राजस्थान—सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358

Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com



3. संयुक्त शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक पं.1(17)संस्कृत शिक्षा/2021 पार्ट/राका.00058/रेफरेस 17461275 जयपुर, दिनांक 29.08.2025 के क्रम में।
4. शासन उप सचिव संस्कृत शिक्षा शासन सचिवालय जयपुर।
5. प्राचार्य, राजकीय शास्त्री/आचार्य संस्कृत महाविद्यालय राजस्थान।
6. वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka
Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.03 12:08:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17522753

eSign 1.0



राजस्थान—सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358

Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com



क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/पं. विद्या संबल योजना/61/राजकाज नं 1050 पार्ट फाइल-5/2025/

दिनांक:

प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य

समस्त राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय:- विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फ़ैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 एवं संयुक्त शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक पं.1(17)संस्कृत शिक्षा/2021 पार्ट/राका. 00058/रेफरेस 17461275 जयपुर, दिनांक 29.08.2025 के क्रम में लेख हैं कि “ विद्या संबल योजनान्तर्गत ” पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2026 तक जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फ़ैकल्टी आमंत्रित करने की योजना है। योजनान्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार आमंत्रित शिक्षक के रूप में कार्य लेने की Enabling Scheme है। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष पूर्व रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष/विषय विशेष में Enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आकलन कर आवश्यकतानुसार विद्या संबल योजना में दी गई प्रक्रिया का पूर्ण पालना करते हुये आमंत्रित शिक्षक से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे –

1. सत्र 2025-26 में सत्र प्रणाली के अन्तर्गत विद्या संबल योजना में गेस्ट फ़ैकल्टी से पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2026 तक जो भी पहले हो तक ही अध्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत विद्या संबल योजना में गैस्ट फ़ैकल्टी से पूरे सत्र हेतु आवेदन एक बार ही आमंत्रित किये जाकर निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करते हुए गैस्ट फ़ैकल्टी को आमंत्रित किया जाकर, आमंत्रित गैस्ट फ़ैकल्टी से प्रत्येक सेमेस्टर का अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो को गेस्ट फ़ैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाये।
4. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फ़ैकल्टी को आमंत्रित करने तथा पात्रता की जांच किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी हैं तथा पैनल की जांच एवं अनुमोदन, आयुक्त/संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.03 12:08:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17522493

eSign 1.0





5. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा “ विद्या संबल योजना ” के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक गेस्ट फैकल्टी को सत्र 2025-26 में प्रति घंटा के आधार पर मानदेय का भुगतान निम्नानुसार किया जाना है:-

प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे	अवधि
800 /—	14 घंटे	सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने/पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2026 तक जो भी पहले हो तक

(स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान किया जावे।

6. विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगे, इन्हें अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. उक्त योजना शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 07 “ यह हैं कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया हैं कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2026 तक जो भी पहले हो (सत्र प्रणाली के अन्तर्गत) सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक (सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत) के लिए हैं मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।” तथा बिन्दु संख्या 08 “ इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है अथवा हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।” के अध्यक्षीन रहेगी।
8. नियमित नियुक्ति/स्थानान्तरण अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
9. यदि किसी महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी लगाने के विषय में कोई संशय उत्पन्न होता हैं तो आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा से अनुमोदन उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.03 12:08:40 IST
Reason: Approved



राजस्थान-सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358



Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com

10. रिक्त पदों की सूचना (जिन पर गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित की जानी है।) महाविद्यालय की वेबसाइट/नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगरपरिषद/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जावेगी।

विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी के पैनल बनाने एवं अनुमोदन का कार्य दिनांक 16.09.2025 तक पूर्ण कर लेवे तथा दिनांक 17.09.2025 से जिन कक्षाओं का अध्यापन कार्य शुरू होना है, उनमें आवश्यकतानुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु नियमानुसार आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :-

1. वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक पं.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023
2. महाविद्यालयवार आवंटित पदों की विषयवार सूची।
3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मापदण्ड।
4. गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।
5. गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने का प्रारूप।
6. गेस्ट फैकल्टी से लिया जाना वाला शपथ पत्र।
7. संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवानियम 2022।

(प्रियंका जोधावत)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वेब साईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि उक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.03 12:08:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17522493

eSign 1.0



राजस्थान—सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358

Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com



विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिये वरीयता के मापदंड

क्र. सं.	शैक्षणिक रिकॉर्ड	स्कोर			
1	शास्त्री / स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक =21)	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम =19	55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम =16	45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम =10
2	आचार्य / स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक =25	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम =23	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असपन्न वर्ग) / शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत)से और 60 प्रतिशत से कम =20	
3	एम.फिल.	60 प्रतिशत और उससे अधिक =7	55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम =05		
4	पीएच.डी.	25			
5	जेआरएफ सहित नेट	10			
	नेट	08			
	स्लेट या सेट	05			
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक	06			
7	शिक्षण / पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक)	10			
8	पुरस्कार				
	अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत	03			

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.03 12:08:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17522509

eSign 1.0





राजस्थान—सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358



Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायो द्वारा दिये गये पुरस्कार)	
राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	02

तथापि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

(क) (i) एमफिल पीएचडी	अधिकतम—25 अंक
(ii) जे आर एफ/नेट/सेट	अधिकतम—10 अंक
(iii) अवार्ड की श्रेणी में	अधिकतम—03 अंक

(प्रियंका जोधावत)
आयुक्त
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.03 12:08:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17522509
eSign 1.0



क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/पं. विद्या संबल योजना/61/राजकाज नं 1050/2024/

दिनांक:

विद्या संबल योजनान्तर्गत 2025-26 के लिए विज्ञप्ति योग्य पदों की विषयवार सूची

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	गैस्ट फैकल्टी अर्न्तगत विज्ञप्ति हेतु विषय	विज्ञप्ति हेतु कुल पद
1.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर	यजुर्वेद, ऋग्वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, सामान्य दर्शन	05
2.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर	अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, नव्य व्याकरण, साहित्य, भाषा विज्ञान	05
3.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटा	हिन्दी, साहित्य, राज.विज्ञान	03
4.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय बीकानेर	सामान्य संस्कृत साहित्य, व्याकरण	03
5.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत,	03
6.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकर	हिन्दी,, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र	05
7.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दौसा	हिन्दी, सामान्य संस्कृत,, व्याकरण, राज.विज्ञान, भाषा विज्ञान	05
8.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय बौली सवाईमाधोपुर	सामान्य संस्कृत, अंग्रेजी, साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान	05
9.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटकासिम अलवर	अंग्रेजी, हिन्दी, सामान्य संस्कृत,	03
10.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर	सामान्य संस्कृत, यजुर्वेद, इतिहास	03
11.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय भरतपुर	सामान्य संस्कृत, हिन्दी, नव्य व्याकरण, साहित्य	04
12.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराणा झुन्झुनू	हिन्दी, सामान्य संस्कृत, साहित्य	03
13.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर जयपुर।	सामान्य संस्कृत , नव्य व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष गणित, राजनीति विज्ञान	05
14.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गनोडा, बासंवाड़ा	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत,	03
15.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय महापुरा	सामान्य संस्कृत, साहित्य, धर्मशास्त्र	03
16.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कालाडेर	अंग्रेजी, साहित्य, व्याकरण	03

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.01 16:48:41 IST
Reason: Approved

RajKaj, Ref No.:
17512201

eSign 1.0





राजस्थान-सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358

Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com



17.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अलवर	सामान्य संस्कृत, साहित्य	02
18.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सैदपुरा	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, नव्य व्याकरण, साहित्य	05
19.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कुण्डगेट सांवर	साहित्य, नव्य व्याकरण	02
20.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय पीठ डूंगरपुर	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, राजनीति विज्ञान,	04
21.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय तलाबगांव, दौसा	सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, राजनीति विज्ञान	04
22.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चीथवाड़ी	साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान	03
23.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा धौलपुर	अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, राजनीति विज्ञान	04
24.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चेचट कोटा	सामान्य संस्कृत, साहित्य, नव्य व्याकरण	03
25.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चोथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर	हिन्दी, राजनीति विज्ञान	02
26.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय नीमकाथाना	अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, राजनीति विज्ञान, ज्योतिष गणित	04
27.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय श्रीमाधोपुर	हिन्दी, सामान्य संस्कृत, व्याकरण	03
28.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय नाथद्वारा	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य	04
29.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सालासर, चुरू	हिन्दी, सामान्य संस्कृत	02
30.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया	सामान्य संस्कृत, साहित्य	02
31.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चक खाचरियावास	हिन्दी, अंग्रेजी, साहित्य, व्याकरण, राजनीति विज्ञान	05
32.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बून्दी	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, व्याकरण	04
33.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बारां	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
34.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय करौली	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
35.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सिवाडा चौहान	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
36.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय जैसलमेर	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य	04

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.01 16:48:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17512201

eSign 1.0



राजस्थान-सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358
Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com



37.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बाडमेर	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य	04
38.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय श्रीगगानगर	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
39.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय रटलाई	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, व्याकरण	04
40.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय साबूआना (टिब्बी)	साहित्य, व्याकरण	02
41.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय मारवाड (मूण्डवा)	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
42.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय हमीरगढ	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, व्याकरण	04
43.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय नारेडा	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
44.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय जोजावर	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
45.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कारुण्डा	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
46.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय माण्डल जिला भीलवाडा	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
47.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय रायसिंहपुरा	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
48.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय डीडवाना	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
49.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय गलोद	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
50.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सिरौही	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण	05
51.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय प्रतापगढ	हिन्दी, अंग्रेजी, व्याकरण	03

विज्ञप्ति हेतु कुल पद 200

(प्रियंका जोधावत)
आयुक्त
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.01 16:48:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17512201
eSign 1.0

प्रारूप

शपथ—पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... विभाग (संस्थान का
नाम) में दिनांक को गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2) वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 व पत्र दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फ़ैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के **empellement** से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2026 तक जो भी पहले हो (सत्र प्रणाली के अन्तर्गत) सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक (सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत) के लिए हैं मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
8. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
9. यह है कि मैं इस तथ्य से भली भांती अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फ़ैकल्टी रखा गया है उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय, अथवा विभाग द्वारा पदव्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या संक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय, प्राचार्य.....

क्रमांक—

दिनांक—

नाम—.....

पता—.....

विषय:— विद्या संबल योजनान्तर्गत (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में प्रति कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित करने बाबत।

संदर्भ:— आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्रांक..... दिनांक..... के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि विद्या संबल योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में विषय में प्रति कालांश मानदेय रु 800/- पर (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) अध्यापन कार्य हेतु दिनांकसे के मध्य उपस्थित होकर महाविद्यालय में मूल दस्तावेजों की जांच एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (100/- स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित किया हुआ) उपरान्त अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त समझा जायेगा साथ ही समस्त दस्तावेजों के सही पाये जाने की स्थिति में ही आमंत्रण मान्य होगा।

प्राचार्य

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय



राजस्थान-सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 ✉ : 0141-2704358

Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com



आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम :-
 2. पिता का नाम :-
 3. आवेदित महाविद्यालय का नाम :-
 4. आवेदित पद एवं विषय का नाम :-
 5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि :-
 6. जन्म तिथि :-
 7. शैक्षणिक योग्यता :- 1. आचार्य/अधिस्नातक (विषय.....)वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न.....
 8. अन्य योग्यतायें :- 1.उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न.....
2.उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न.....
3.उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न.....
 9. सेवानिवृत्त कार्मिक की स्थिति में पीपीओ नम्बर व सेवानिवृत्ति के समय धारित पद.....संलग्न.....
 10. निवास का पता :- 1. स्थाई पता :-
.....
.....
2. वर्तमान पता :-
.....
.....
 11. मोबाइल नम्बर :-.....ई-मेल :-
 12. जाति :-
 13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्ट्स पर्सन).....संलग्न.....
 14. मूल निवास प्रमाण पत्र.....संलग्न
 15. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त).....संलग्न
- आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची मय क्रम संख्या (स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ) व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर